Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 15, 2010
(PHALGUNA 24, 1931 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 15th March, 2010

No. 12—HLA of 2010/22.—The Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Amendment Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 12—HLA of 2010

THE HARYANA EVACUEE PROPERTIES (MANAGEMENT AND DISPOSAL) AMENDMENT BILL, 2010

A

BILL

to amend the Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Act, 2008

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Amendment Act, 2010. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 6th September, 2005.

Amendment of section 2 of Haryana Act 7 of 2008.

2. In Section 2 of the Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Act, 2008 (hereinafter called the principal Act),—

(i) clause (a) shall be omitted;

(ii) in clause (b), after the words "or vice-versa", the following words shall be inserted, namely :—

"but does not include their share in the shamilat land or in the land made available due to river action, which shall vest in the Gram Panchayat concerned";

(iii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely :—

'(h) "Secretary" means the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Revenue and Disaster Management Department (Rehabilitation Branch);';

(iv) in the Explanation to clause (k), for the sign ";" existing at the end, the sign "." shall be substituted; and

(v) clause (l) shall be omitted.

Amendment of section 3 of Haryana Act 7 of 2008.

3. In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, for the words "appoint a Chief Commissioner (Sales), as many Commissioners (Sales)", the words "appoint as many Chief Commissioners (Sales), Commissioners (Sales)" shall be substituted.

Amendment of section 4 of Haryana Act 7 of 2008.

4. For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"**4. Power to transfer evacuee property.**—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, order, decree or decision of a court of law or an authority, no allotment of evacuee property shall be made to any person except as per the provisions contained in clauses (a) to (g) of sub-section (2).

(2) The Tehsildar may transfer any evacuee property, except under clause (c), on such terms and conditions, as may be prescribed,—

(a) by allotment at the rate of five hundred rupees per acre to Bhondedar, Dohlidar, Butimar, Muqararidar or such other category, as may be notified by the State Government and perpetual lessee including his predecessor-in-interest or successor-in-interest, who were in occupation/ possession as per revenue record as on the 15th August, 1947 and are still recorded as such on the date of coming into force of this Act.

Explanation.—For the purposes of this clause, perpetual lessee means a person or his successor-in-interest to whom erstwhile Muslim evacuee owners, before migration to Pakistan, had given land on lease for cultivation for unlimited period and the lease is entered in the revenue record for the period prior to 15th August, 1947 and the same continues unabated as such;

(b) by allotment at the rate of two thousand rupees per acre to the lessee or his successor-in-interest of the inferior evacuee land which was allotted to him under policy instructions No. 7841-JN (4)-61/2699, dated the 29th August, 1961, who are in continuous cultivating occupation thereof;

(c) by sale through negotiation to any department of Government of India, State Government, Boards and Corporations duly constituted under any law, Panchayati Raj Institutions or other registered bodies and cooperative societies registered under any general or special law for a public purpose, at such price, terms and conditions, as the State Government may, determine by order;

(d) by sale through public auction;

(e) by sale through auction restricted to the members of the Scheduled Castes and Backward Classes, as notified by the State Government, from time to time, on such terms and conditions, as may be prescribed;

(f) to the person on the basis of his possession under any policy, scheme or rules;

(g) to any person with disability, on such terms and conditions, as may be prescribed :

Provided that the sale under clause (c) shall be done in accordance with the Rules of Business of the Government of Haryana, 1977. However, the conveyance deed for the transfer of the evacuee property under clause (c), shall be issued by the concerned Tehsildar :

Provided further that land in rural area and urban area which is free from encroachment and free from all encumbrances shall be transferred to the concerned Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, on such terms and conditions, as the State Government may, by order, direct.

(3) Every Tehsildar selling any evacuee property by public auction or otherwise under sub-section (2), shall be deemed to be a revenue officer within the meaning of sub-section (4) of section 89 of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908).

Amendment of section 6 of Haryana Act 7 of 2008.

5. In sub-section (1) of section 6 of the principal Act, the words "with prior approval of the State Government" shall be omitted.

Amendment of section 20 of Haryana Act 7 of 2008.

6. For section 20 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"**20. Saving.**—The Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Displaced Persons (Claims) Act, 1950 (44 of 1950), the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (64 of 1951), the Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (12 of 1954) and the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) , have been repealed by the Displaced Persons Claims and other Laws Repeal Act, 2005 (38 of 2005) :

Provided that the allotment of land has been obtained by concealment of facts or by fraud or has been made on the basis of material irregularity under the provisions of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), and rules made thereunder, the State Government shall be competent to cancel the allotment and take the possession for the disposal of the said property as per the provisions of this Act. The powers of State Government under this section shall be exercised by the authority specified under section 9 .".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

After the repealing of the Central Acts by the Government of India *vide* notification dated 6.9.2005, the State Government enacted the Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Act, 2008 (Act No.7 of 2008) and notification in this regard was issued on 16.4.2008. Before finalization of the Rules under the Act ibid, it has been considered that certain amendments in the Act are required for proper management and disposal of evacuee properties as the difficulties are being faced in the matter of disposal of evacuee lands. Certain categories of the occupants who were given land by erstwhile Muslim owners before their migration to Pakistan and in other cases the land was given on lease by the Government under its policy. These occupants are occupying the land for a period of more than 50 years and virtually they have become owners and their sentiments are attached with this land. The Government after due consideration of the matter have decided to confer them proprietary rights by charging a nominal price as a measure of agrarian reforms. The evacuee land will be disposed of in accordance with the provisions of this Act and not otherwise.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

RANDEEP SINGH SURJEWALA,
Parliamentary Affairs Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 15th March, 2010

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2010 का विधेयक संख्या 12-एच० एल० ए०

हरियाणा निष्क्रांत सम्पत्ति (प्रबन्धन तथा निपटान) संशोधन विधेयक, 2010

हरियाणा निष्क्रांत सम्पत्ति (प्रबन्धन तथा निपटान) अधिनियम, 2008 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा निष्क्रांत सम्पत्ति (प्रबन्धन तथा निपटान) संशोधन अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

(2) यह 6 सितम्बर, 2005 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2008 के हरियाणा अधिनियम 7 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा निष्क्रांत सम्पत्ति (प्रबन्धन तथा निपटान) अधिनियम, 2008 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (क) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खण्ड (ख) में, –

(क) अन्त में विद्यमान ";" चिह्न का लोप कर दिया जाएगा ; और

(ख) अन्त में निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :– "किन्तु इसमें शामलात भूमि में या नदी बहाव के कारण उपलब्ध हुई भूमि में उनका हिस्सा, जो सम्बद्ध ग्राम पंचायत में निहित होगा, शामिल नहीं है ; " ;

(iii) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(ज) "सचिव" से अभिप्राय है, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग (पुनर्वास शाखा) ; ' ;

(iv) खण्ड (ट) की व्याख्या में, अन्त में विद्यमान, ";" चिह्न के स्थान पर, "।" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(v) खण्ड (ठ) का लोप कर दिया जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में, "मुख्य आयुक्त (विक्रय), बहुत से आयुक्त (विक्रय)", शब्दों के स्थान पर, "बहुत से, मुख्य आयुक्त (विक्रय), आयुक्त (विक्रय)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2008 के हरियाणा अधिनियम 7 की धारा 3 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– 2008 के हरियाणा अधिनियम 7 की धारा 4 का संशोधन।

"**4. निष्क्रांत सम्पत्ति के अन्तरण की शक्ति.**– (1) किसी विधि न्यायालय या प्राधिकरण के किसी न्याय निर्णय, आदेश, डिक्री या निर्णय में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, उपधारा (2) के खण्ड (क) से (छ) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार के सिवाय निष्क्रांत सम्पत्ति का आबंटन किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा।

(2) तहसीलदार खण्ड (ग) के अधीन के सिवाय, यथा विहित ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर, किसी निष्क्रांत सम्पत्ति का अन्तरण कर सकता है,–

(क) भोंडेदार, दोहलीदार, बुटीमार, मुकररीदार या ऐसे अन्य प्रवर्ग जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं तथा शाश्वत पट्टेदार जिसमें उसके हित पूर्वाधिकारी या हित उत्तराधिकारी, जो 15 अगस्त, 1947 को राजस्व अभिलेख के अनुसार अधिभोग/कब्जे में थे तथा इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को ऐसे रूप में अभिलिखित है, भी शामिल है, को पांच सौ रुपए प्रति एकड़ की दर से आबंटन द्वारा।

व्याख्या.– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, शाश्वत पट्टेदार से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति या उसका हित उत्तराधिकारी जिसको भूतपूर्व मुस्लिम निष्क्रांत स्वामी, पाकिस्तान में निर्वासन से पूर्व असीमित अवधि के लिए जोत के लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी तथा पट्टा 15 अगस्त, 1947 से पूर्व अवधि के लिए राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा वह ऐसे रूप में निरंतर दर्ज है ;

(ख) घटिया निष्क्रांत भूमि जो पट्टेदार या उसके हित उत्तराधिकारी को पॉलिसी हिदायत संख्या 7841–जे एन (4)–61/2699, दिनांक 29 अगस्त, 1961 के अधीन उसको आबंटित की गई थी जो उसके निरंतर जोत अधिभोग में हैं, दो हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से आबंटन द्वारा ;

(ग) भारत सरकार, राज्य सरकार के किसी विभाग, किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित बोर्डों तथा निगमों, पंचायती राज संस्थाओं या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी साधारण या विशेष विधि के अधीन अन्य पंजीकृत निकाय तथा सहकारी सोसाइटियों को ऐसी कीमत, निबन्धन तथा शर्तों पर जो राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्धारित करे, बातचीत के माध्यम से विक्रय द्वारा ;

(घ) सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय द्वारा ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों तक सीमित, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जो विहित की जाएं, को नीलामी के माध्यम से विक्रय द्वारा ;

(च) किसी पॉलिसी, स्कीम या नियमों के अधीन उसके कब्जे के आधारों पर व्यक्तियों को ;

(छ) यथा विहित ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर किसी निःशक्त व्यक्ति को :

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन विक्रय, हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियम, 1977 के अनुसार किया जाएगा। तथापि, खण्ड (ग) के अधीन निष्क्रांत सम्पत्ति के अंतरण के लिए हस्तातंरण पत्र सम्बद्ध तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में भूमि जो अतिक्रमण से मुक्त है तथा सभी ऋणभारों से मुक्त है, सम्बंधित ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा निदेश करे, अन्तरित की जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन सार्वजनिक नीलामी द्वारा या अन्यथा से किसी निष्क्रांत सम्पत्ति का विक्रय करने वाला प्रत्येक तहसीलदार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का XVI), की धारा 89 की उपधारा (4) के अर्थ के भीतर राजस्व अधिकारी के रूप में समझा जाएगा।

2008 के हरियाणा अधिनियम 7 की धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में, "राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

2008 के हरियाणा अधिनियम 7 की धारा 20 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"**20. व्यावृत्ति.**— विस्थापित व्यक्ति दावे तथा अन्य विधियां निरसन अधिनियम, 2005 (2005 का 38) द्वारा, निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31), विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1950 (1950 का 44), निष्क्रांत हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (1951 का 64), विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अधिनियम, 1954 (1954 का 12) तथा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44), निरसित किए गए हैं :

परन्तु जहां भूमि का आबंटन विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के

अधीन तथ्य छिपाकर या कपट द्वारा प्राप्त किया गया है या तात्विक अनियमितता के आधारों पर प्राप्त किया गया है, तो वहां राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त सम्पत्ति का आबंटन रद्द करने तथा निपटान हेतु कब्जा लेने के लिए सक्षम होगी। इस धारा के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां धारा 9 के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएंगी।"।

उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 6–9–2005 से केन्द्रीय विधेयकों को निरस्त करने के पश्चात् राज्य सरकार ने हरियाणा निष्क्रान्त सम्पत्तियाँ (प्रबन्धन तथा निपटान) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्या 7) अधिनियमित किया तथा इस सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 16–4–2008 को जारी की गई । इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व यह विचार किया गया कि मतरूका सम्पत्तियों के उचित प्रबन्धन व निपटान के लिए विधेयक में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है क्योंकि मतरूका सम्पत्तियों के निपटान में बाधायें उत्पन्न हो रही हैं । काबिजों की कुछ श्रेणियां जिन्हें मुस्लिम मालिकों द्वारा पाकिस्तान जाने से पूर्व भूमि दी गई थी तथा अन्य केसों में सरकार की उसकी नीति के तहत भूमि पट्टे पर दी गई थी । यह काबिज 50 वर्ष से अधिक समय से भूमि पर कब्जा किए हुए हैं और वह इसके मालिक के समान हैं तथा इस सम्पत्ति से उनकी सामाजिक भावनायें जुड़ी हुई हैं । सरकार ने इस मामले पर विचार करने उपरान्त निर्णय लिया कि इन्हें मालिकाना हक नाममात्र कीमत लेकर भूमि सुधार के तहत प्रदान कर दिये जायें । मतरूका भूमि/सम्पत्ति का निपटान इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जायेगा अन्यथा नहीं ।

बिल उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत है ।

रणदीप सिंह सुरजेवाला,
संसदीय कार्य मन्त्री, हरियाणा ।

चण्डीगढ़ :
15 मार्च, 2010

सुमित कुमार,
सचिव ।